

प्रेस नोट दिनांक 01.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० अनीश को किया गया गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत सगरासुन्दरपुर बाबूगंज रोड पर शिवबोझ तिराहा ग्राम शिवबोझ के पास से गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद रायबरेली में लूट, चोरी, डकैती, दुष्कर्म, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध के कुल 10 अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह का० हरेन्द्र सिंह, का० कुन्दन शर्मा, का० प्रमेश यादव, का० प्रेमदत्त द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत सगरासुन्दरपुर बाबूगंज रोड पर शिवबोझ तिराहा ग्राम शिवबोझ के पास से 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० अनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक नि० ग्राम पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के पास से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०सं० - 01/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से बरामद 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मो० अनीश पुत्र अब्दुल रज्जाक नि० ग्राम पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अनीस पुत्र रज्जाक नि० पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 344/18 धारा 120बी/394/411 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 415/2019 धारा 2/3 उ०प्र० गै० अधि० थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 26/2024 धारा 323/354ख/376डी/452/457/504/506 भादवि व 3(1)घ, 3(1)ध, 3(2)(V),3(2)(Va) Sc/St act थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 438/2023 धारा 504/506 भादवि व 3(1)ध, 3(2)va एससीएसटी एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 260/2018 धारा 147/148/323/342/506 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 107/14 धारा 147/323/504/506/452/336 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 237/16 धारा 2/3 गुण्डा अधि0 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 278/2015 धारा 379 भादवि थाना गदागंज जनपद रायबरेली ।
9. मु0अ0सं0 02/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गदागंज जनपद रायबरेली ।
10. मु0अ0सं0 367/13 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्वीफ्ट डिजायर कार बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 हरेन्द्र सिंह, का0 कुन्दन शर्मा, का0 प्रमेश यादव, का0 प्रेमदत्त थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, देशी नाजायज शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम समगढ़ा में स्थित भट्टे के पास से 08 लीटर देशी नाजायज शराब तथा शराब बिक्री से प्राप्त ₹1640/- नगद के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 शत्रुधन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, ग्राम समगढ़ा में स्थित भट्टे के पास से 01 अभियुक्त धीरज गुप्ता पुत्र संतराम गुप्ता, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम बदौवन का पुरवा, मंगापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को 08 लीटर देशी नाजायज शराब तथा शराब बिक्री से प्राप्त ₹1640/- नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 40 अदद कागज पैक प्रति 200 एम.एल. (08 लीटर) देशी नाजायज शराब तथा शराब बिक्री से प्राप्त ₹1640/- नगद बरामद किये गये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना उदयपुर पर मु.अ.स. 001/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा कुल 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त महेश कुमार उर्फ दिलावर को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ताला मोड ग्राम खभोर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का0 सुनील पटेल व का0 राजेश कुमार यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ताला मोड ग्राम खभोर के पास से 01 अभियुक्त महेश कुमार उर्फ दिलावर पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम खभोर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के कब्जे से कुल 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 01/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. महेश कुमार उर्फ दिलावर पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम खभोर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 19/2026 धारा 411 भादवि थाना जीआरपी, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का0 सुनील पटेल व का0 राजेश कुमार यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर एक्ट के तहत शांति 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज की 01 चार पहिया (बोलेरो पिक अप) जिसका अनुमानित मूल्य लगभग ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) की अवैध संपत्ति थाना कोतवाली देहात द्वारा कुर्क की गई-

धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत चिन्हित आपराधी अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए मा० न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा 01 चार पहिया (बोलेरो पिक अप) व 02 दोपहिया (अपाचे व स्प्लेण्डर) कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज उपरोक्त थाना कोतवाली नगर का गैंगस्टर अभियुक्त है जिसके विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में गैंगस्टर, गोवध, पशु क्रूरता अधिनियम, चोरी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज में कुल 09 अभियोग हैं दर्ज

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-105/2025 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त/गैंग सदस्य अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज के आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल सम्पत्ति की कुर्की माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अर्जित चल सम्पत्ति/ 01 चार पहिया (बोलेरो) व 02 दोपहिया (अपाचे व स्प्लेण्डर) को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश प्रदान किया गया था, जिसमें 01 चार पहिया (बोलेरो पिक अप) को थाना कोतवाली देहात द्वारा कुर्क किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

01- अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो० परवेज पुत्र मो० चुन्नू निवासी ग्राम हथिगन पुरवा खास, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-299/2014 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करछना, जनपद प्रयागराज।
2. मु०अ०सं०-74/2021 धारा-379, 411 भादवि० थाना खीरी, जनपद प्रयागराज।
3. मु०अ०सं०-89/2021 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना खीरी जनपद प्रयागराज।
4. मु०अ०सं०-91/2021, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना खीरी, जनपद प्रयागराज।
5. मु०अ०सं०-47/2022, धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना करछना, जनपद प्रयागराज।
6. मु०अ०सं०-169/2022, धारा-379, 411 भादवि० थाना करछना जनपद प्रयागराज।
7. मु०अ०सं०-182/2022, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज।
8. मु०अ०सं०-389/2022, धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु०अ०सं०-105/2025, धारा-2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट), थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह उ०नि० वरुण कुमार सिंह, का० विपिन कुमार, का० बाबी चौधरी, का० आशुतोष तिवारी, का० राहुल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ व जनपद सुल्तानपुर में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट व गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान व का0 अमित कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 001/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायणदास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत पूरे नारायण दास मोड़ पुलिया मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायणदास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22वर्ष ।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायणदास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 01/2026, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 197/2018, धारा 379, 411, 41 भा0द0वि0, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 166/2020, धारा 457, 380 भा0द0वि0, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 171/2020, धारा 354-क, 506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 132/2024, धारा 191(2), 190, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 86/2025, धारा 308(5), 126(2), 351(2), 317(2) बीएनएस, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 244/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।

पुलिस टीम- उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान व का0 अमित कुमार यादव, थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना महेशगंज पुलिस द्वारा कुल 1214 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1160 रुपये व 01 अदद मोटर साईकिल पैशन प्लस के साथ 01 अभियुक्त नरेश चौरसिया को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत सुख शान्ति गेस्ट के पीछे ट्यूबेल के पास ग्राम कस्बा हीरागंज के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर, उ0नि0 शिवा प्रजापति, का0 बीरपाल सिंह, का0 सुनील कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत सुख शान्ति गेस्ट के पीछे ट्यूबेल के पास ग्राम कस्बा हीरागंज के पास से 01 अभियुक्त नरेश चौरसिया पुत्र स्व0 रामप्रसाद चौरसिया निवासी ऐंधा खास थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष के कब्जे से कुल 1214 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1160 रुपये व 01 अदद मोटर साईकिल पैशन प्लस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 01/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नरेश चौरसिया पुत्र स्व0 रामप्रसाद चौरसिया निवासी ऐंधा खास थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी- कुल 1214 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1160 रुपये व 01 अदद मोटर साईकिल पैशन प्लस बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर, उ0नि0 शिवा प्रजापति, का0 बीरपाल सिंह थाना महेशगंज प्रतापगढ़, का0 सुनील कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को

नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही, देशी नाजायज शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत गलगली मोड पुलिया से 13 लीटर देशी नाजायज शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय के उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 सौरभ शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, गलगली मोड पुलिया से 01 अभियुक्त मुन्ना पुत्र जगेसर उम्र करीब 50 वर्ष नि० मण्डल भासो थाना बाघराय प्रतापगढ़ को 13 लीटर देशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 13 लीटर देशी नाजायज शराब बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 001/26 धारा 60Ex एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 25,000/-रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अमन सिंह को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

गिरफ्तार ईनामियां अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर में हत्या का प्रयास, चोरी, छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट व आर्म्स एक्ट जैसे 06 अभियोग हैं पंजीकृत

अभियुक्त को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा ईनामिया अभियुक्त को अमावा बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 25.10.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर पूरे अनुरुद्ध निवासी वादी पर मोटर साइकिल सवार आरोपीगणों द्वारा वादी पर फायरिंग करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0-404/2025 धारा 109(1), 191(2), 191(3) बनाम 05 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, का0 मुकेश कुमार, का0 अवतार सिंह व का0 कुलदीप पाल , का0 देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 404/2025 धारा 109 (1)/191 (2)/191 (3)/61 (2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ईनामिया 01 अभियुक्त अमन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम बीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, स्थायी पता ग्राम बहुराजमऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत अमावा बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

01.अमन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम बीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, स्थायी पता ग्राम बहुराजमऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

ईनामिया अभियुक्त अमन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम बीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, स्थायी पता ग्राम बहुराजमऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 197/2018, धारा 379, 411, 41 भा0द0वि0, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 166/2020, धारा 457, 380 भा0द0वि0, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 171/2020, धारा 354-क, 506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 132/2024, धारा 191(2), 190, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 86/2025, धारा 308(5), 126(2), 351(2), 317(2) बीएनएस, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 244/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, का0 मुकेश कुमार, का0 अवतार सिंह व का0 कुलदीप पाल , का0 देवेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद -

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 30.12.2025 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोजेमऊ में वादी व वादी की पत्नी को आरोपीगण द्वारा एक राय होकर लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 307/2025 धारा-115(2), 351(3), 352, 109(1), 110, 324(4) बीएनएस बनाम 04 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह कां० अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 307/2025 धारा-115(2), 351(3), 352, 109(1), 110, 324(4) बीएनएस थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त, सुशील कुमार मौर्या पुत्र बदी प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत वीरापुर बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुशील कुमार मौर्या पुत्र बदी प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह कां० अजय यादव थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।